18 अप्रील **2012**

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के साथ चैम्बर प्रांगण में आयोजित बैठक में समर्पित ज्ञापन

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कार्यनीति की कंडिका (ix) के द्वारा राज्य सरकार ने अन्य कुछ उद्योगों के साथ निम्नलिखित उद्योगों को भी थ्रस्ट एरिया में रखा है ।

   - पर्यटन संबंधी उद्योग
   - सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
   - उच्च / तकनीकी अध्ययन संस्थान
   - इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उद्योग
   - वस्त्र उद्योग
   - उर्जा / गैर–पारम्पिरिक उर्जा

2. इसी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 6 में यह संकल्प लिया गया है कि चिन्हित् थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जाएगा ।

3. यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि थ्रस्ट एरिया में वैसे ही औद्योगिक प्रक्षेत्र चिन्हित् किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन आज तक उपरोक्त थ्रस्ट एरिया के औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है । अतः प्रधान सचिव महोदय उद्योग विभाग से हमारा अनुरोध है कि इस विषय को प्रथमिकता के आधार पर लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें ।

4. ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 & 2011 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट, पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियाँ होती हैं । विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है । इस मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो । इस सन्दर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निवेदन किया था, उन्होंने ने भी इस तरह की Clarification Committee का गठन कराने का कृपापूर्ण आश्वासन दिया है । अतः अनुरोध है कि इस दिशा में आप अपने स्तर से भी पहल कराने की कृपा करें ।

5. बिहार गजट संख्या 293 दिनांक 31 मार्च 2012 द्वारा Bihar VAT Act 2005 में कुछ संशोधन किये गये हैं जिसके द्वारा मार्च 2012 के Input Tax का Credit भी अप्रील 2012 में नहीं मिलेगा जो कि व्यवसाय एवं उद्योग दोनों के लिए Cumbersome है । इससे राज्य के औद्योगिक विकास में बाधा आएगी अतः उद्योग विभाग को इस संशोधन को वापस कराने के लिए पहल करना चाहिए ।

6. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत AMG/MMG से औद्योगिक इकाईयों को छूट दिये जाने का प्रावधान है । परन्तु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड केवल KWH पर ही उपरोक्त छूट दे रही है जबकि AMG/MMG में KVA तथा MVA भी आते हैं । इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यह प्रोत्साहन उद्यमियों को उपलब्ध नहीं करा रही है ।

7. इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने विभागीय ज्ञापांक 1837 दिनांक 31.05.2011 के द्वारा कुछ औद्योगिक इकाईयों के मामले में यह निर्णय दिया था कि HTSS श्रेणी के उपभोक्ताओं को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत MMC में छूट दिया जाना है जिसकी प्रतिपूर्ति बोर्ड को राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी । इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के प्रावधानों के तहत देय छूट अनुमान्य की जा रही है । प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के उक्त आदेश के बावजूद भी बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों को MMC की छूट जिसमें KVA/MVA भी शामिल है, नहीं मिल पा रही है । अतः प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से निवेदन है कि संबंधित इकाईयों को MMC Charge (KVA/MVA) से छूट उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

उद्यमी द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित किए जानेवाले मौर्टगेज डीड को निबंधन शुल्क से विमुक्ति के संबंध में

8. उद्योगों की स्थापना / विस्तार हेतु बैक से ऋण प्राप्त करने के लिए संबंधित उद्यमियों को बैंक के पक्ष में निष्पादित किये जानेवाले मोर्गेज डीड तथा कोलेटरल सिक्यूरिटी पर लगनेवाले निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है । उदाहरण स्वरूप एक करोड़ के सीमा तक की ऋण की प्राप्ति के लिए उद्यमी को लगभग 300 रूपये प्रति लाख की दर से 30 हजार रूपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जमा करना पड़ता है । इससे स्पष्ट है कि बिहार में निबंधन शुल्क उद्योग के लिए एक अतिरिक्त भार बन गया है ।

निम्नांकित तालिका से यह बताता है कि अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार में निबंधन शुल्क कितना अधिक लगता है :–

राज्य	मोर्टगेज चार्ज
बिहार	0.3%
पश्चिम बंगाल	शुन्य
उड़ीसा	11 रूपया
हरियाणा	2.50 रू0 असीमित राशि
पंजाब	15 रू0 असीमित राशि
जम्मू एंड कश्मीर	20 रूपया
उत्तर प्रदेश	0.5% अधिकतम 10,000/- रू0
राजस्थान	100 रूपया मात्र
गुजरात	0.25% अधिकतम 5,700/- रू0
महाराष्ट्र	0.1%
मध्य प्रदेश	0.5% अधिकतम 10,000/- रू0

तामिलनाडु	0.1%	अधिकतम 5,000/- रू0

अतः आपसे अनुरोध है कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ भी निबंधन शुल्क को कम कर इसे व्यवहारिक बनाया जाए ।

समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना

9. उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्वाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है । हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योग हेतु बिजली की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें । कमी से निपटने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करना चाहिए ।

10. राज्य की उर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 डॅ पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को MMG/AMG से छूट

11. बिहार सरकार ने सभी प्रकार के होटलों को पर्यटन उद्योग में सम्मिलित किया है तथा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और तदनुरूप औद्योगिक नीति 2006 के अन्तर्गत मिलनेवाले सभी प्रोत्साहनों के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन का पात्र बनाया है । परन्तु दुर्भाग्यवश होटल उद्योग को विद्युत बोर्ड द्वारा MMG/AMG से अब तक छूट प्राप्त नहीं हो रही है । इस संबंध में चैम्बर ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपरोक्त छूट देने का आग्रह किया था परन्तु बोर्ड के वित्तीय नियंत्रक –I ने अपने पत्र संख्या 1007 दिनांक 25.4.2011 द्वारा चैम्बर को यह सलाह दी गई कि इस संबंध में उद्योग विभाग से सम्पुष्टि पत्र उपलब्ध कराया जाए । अतः हमारा निवेदन है कि उद्योग विभाग इस संबंध में विद्युत बोर्ड को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें ।

बियाडा से संबंधित मुद्दे

12. बियाडा द्वारा लीज डीड का एक नया प्रारूप बनाकर उसे सुझाव हेतु परिचालित किया गया था उस पर चैम्बर ने विभिन्न राज्यों में लागू लीज डीड मंगाई और बियाडा के प्रारूप के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बियाडा के लीज डीड के प्रारूप में विसंगतियाँ थी । तदुपरान्त चैम्बर ने बियाडा लीज डीड प्रारूप पर अपने सुझावों के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर विभाग को समर्पित किया है । अतः अनुरोध है कि हमारे उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा की जाए ।

13. अन्य राज्यों की तरह ही एक समय सीमा के बाद लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए ।

14. माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित मंत्री द्वारा गत वर्षों में उद्योग से संबंधित की गई बजटीय घोषणाओं को लागू कराया जाना चाहिए । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें निम्न हैं :–

15. उद्योग हेतु कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त करना ।

16. उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर से प्रवेश कर को समाप्त करना इत्यादि ।

सामग्री–खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना

17. राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू की । लेकिन नीति में निहित विसंगतियों के कारण राज्य की इकाईयाँ इसका लाभ नहीं उठा पायी । राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम – 131 में कुछ संशोधन किया है । मगर इसका भी लाभ राज्य के औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिल पा रहा है । राज्य की स्थानीय इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीददारी में पार्दर्शीता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें । हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे । अतः आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके ।

उद्योग के उपयोग हेतु भूमि बैंक के गठन का अनुरोध

18. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू–भाग की आवश्यकता है विशेषकर इच्छुक उद्यमियों के लिए ऐसे बड़े भू–भाग का प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

- भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।
- ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं स्टेटस की स्थापना द्वारा ।
- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।

19. इसी सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में **''आओ बिहार योजना''** की घोषणा की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा भू–अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य के निवासियों को सूचित किया जाना है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक के स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग एवं संस्थान हेतु बेचना चाहते हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्योरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं । इसके पश्चात सरकार विज्ञापन के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में भूमि बिक्रय हेतु उपलब्ध है । यदि वे इच्छुक हों तो संबंधित भूधारी से सम्पर्क कर सकते हैं । ऐसी जमीन पर निवेश किये जाने पर औद्योगिक नीति के प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा । सरकार ने बियाडा को इस योजना हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया है इसे मूर्त्त रूप से कार्यान्वित कराया जाना चाहिए ।

20. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 तथा 2011 के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को वैट प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का समुचित सरलीकरण करना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वैट की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग द्वारा ही की जाए ।

21. उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2011 को जारी अधिसूचना जिसके अन्तर्गत यह संकल्पित किया गया है कि चूंकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 का अवधि विस्तार यथास्थिति में किया गया है अतः इस नीति के अन्तर्गत कंडिका – 2 (xii) AMG/MMG से छूट एवं कंडिका – 2 (ix) विषम परिस्थिति में कार्यरत इकाईयों को दी जानेवाली सभी प्रोत्साहन सुविधाओं को यथावत् स्थिति में उक्त विस्तारित अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2011 से 30.06.2011 तक के लिए देय होगा । इस अधिसूचना को सरकार के अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित कराया जाए ।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को वैट / प्रवेश कर प्रतिपूर्ति के देय प्रोत्साहन के संबंध में

22. राज्य की औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 (बिहार गजट S.O No.1162 दिनांक 25/07/06 जिसकी प्रति संलग्न है), के अन्तर्गत बिहार वैट के मद में भुगतान की गयी करों के अन्तर्गत प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है । इस संबंध में अनुरोध है कि बिहार के औद्योगिकरण के हित में इस विसंगति पर शीघ्रातिशीघ्र साकारात्मक निर्णय लेने कि कृपा की जाये ।

23. हल्दिया – जगदीशपुर गैस पाईप लाइन में बिहार को गैस में हिस्सेदारी तथा पर्याप्त आवंटन हेतु प्रयास एवं एम.ओ.यू. किया जाय ।

****